



## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

थाना-बिलरियागंज, जनपद-आजमगढ़

₹50,000/- का ईनामिया गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

• संगठित गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग लीडर रब्बानी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही।

• थाना बिलरियागंज के 03 चोरी के अभियोगों में 06 चोरी के मोबाइल फोन बरामद होने के बाद गैंग चार्ट अनुमोदित कर गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

• महाराष्ट्र/मुंबई से वापस आकर छिपते हुए कन्धरापुर की ओर जाने के दौरान ₹50,000/- के ईनामिया गैंगस्टर अभियुक्त को सियरहा अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा ₹50,000/- के पुरस्कार घोषित गैंगस्टर अभियुक्त रब्बानी पुत्र फिरोज निवासी अयूब नगर कस्बा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दिनांक 21.09.2026 को समय करीब 06:46 बजे सियरहा अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रब्बानी अपने अन्य साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। गिरोह के विरुद्ध पूर्व में थाना बिलरियागंज पर मोबाइल चोरी से सम्बन्धित मु०अ०सं० 276/24, 277/24 एवं 278/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत हुए थे। इन अभियोगों की विवेचना के दौरान अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा उनके कब्जे से कुल 06 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किये गये थे। उक्त प्रकरणों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त आपराधिक गतिविधियों के आधार पर अभियुक्त रब्बानी व उसके साथियों के विरुद्ध गैंग चार्ट का अनुमोदन दिनांक 26.05.2026 को किया गया तथा थाना बिलरियागंज पर मु०अ०सं० 143/26 धारा 2(b)(1), 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तारी का विवरण

थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा जैगहा चौराहा एवं आसपास संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि गैंगस्टर अभियुक्त रब्बानी महाराष्ट्र/मुंबई से वापस आया है तथा एक्सप्रेस-वे के नीचे वाले रास्ते से कन्धरापुर की ओर जाने के लिए वाहन की प्रतीक्षा कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सियरहा अण्डरपास से कन्धरापुर जाने वाली सड़क पर घेराबंदी की गई। अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया। अभियुक्त को दिनांक 21.09.2026 को समय करीब 06:46 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1-रब्बानी पुत्र फिरोज, निवासी अयूब नगर कस्बा थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 31 वर्ष पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 143/26 धारा 2(b)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

## आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 276/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 277/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 278/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 176/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 289/23 धारा 379/411 भादवि, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 394/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 143/26 धारा 2(b)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

## पुरस्कार

अभियुक्त रब्बानी की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 05.09.2026 को ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था तथा पुलिस उप- महानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा आदेश दिनांक 16.09.2026 के माध्यम से पुरस्कार की धनराशि बढ़ाकर ₹50,000/- कर दी गई थी।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा, उ0नि0 अक्षयदीप सिंह, का0 अजीत कुमार यादव, का0 सुरेन्द्र पाल, का0 मोहन कुमार भारती, का0 अजय कुमार पाठक, का0 सुमित कुमार राव, रि0म0का0 हरिप्रिया सिंह एवं रि0म0का0 कोमल, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक-21.09.2026, जनपद-आजमगढ़

- थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा 06 वर्ष से वांछित अपहता बरामद, परिजनों को सुपुर्द कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित।
- थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 21 वर्षीय अभियुक्त गिरफ्तार।
- थाना गम्भीरपुर साइबर टीम की त्वरित कार्यवाही से साइबर फ्रॉड की ₹2,000/- धनराशि पीड़िता के खाते में वापस करायी गयी

थाना बिलरियागंज-06 वर्ष से वांछित अपहता बरामद

दिनांक 06.05.2019 को एक युवती के स्कूल जाने के बाद वापस न आने के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 213/21 धारा 366/504/507 भादवि पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना एचटीयू आजमगढ़ द्वारा की जा रही थी। दिनांक 21.09.2026 को निरीक्षक निहार नन्दन कुमार एचटीयू मय पुलिस टीम को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहता मुंबई से आजमगढ़ आयी है तथा बिलरियागंज बाजार में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कस्बा बिलरियागंज से समय 09:10 बजे उसे सकुशल बरामद किया गया। परिजनों को बुलाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना अतरौलिया-पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.05.2026 को किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 204/26 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 65(1) बीएनएस एवं धारा 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। दिनांक 21.09.2026 को उ0नि0 अखिलेश सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अमरजीत पुत्र सरवन निवासी देवलर, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर, उम्र 21 वर्ष को बूढ़नपुर चौराहे के पास राजेसुल्तानपुर जाने वाली रोड से समय 08:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना गम्भीरपुर-साइबर फ्रॉड की ₹2,000/- धनराशि वापस करायी गयी

थाना गम्भीरपुर क्षेत्र की एक आवेदिका के खाते से फोन-पे के माध्यम से ₹6,000/- का साइबर फ्रॉड किया गया था। आवेदिका द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज करायी गयी। शिकायत पर साइबर टीम गम्भीरपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की धनराशि में से ₹2,000.01/- फ्रीज करायी गयी, जिसमें से ₹2,000/- की धनराशि MRM पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के खाते में वापस करायी गयी। शेष फ्रीज धनराशि को वापस कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम

थाना बिलरियागंज एचटीयू टीम- निरीक्षक निहार नन्दन कुमार, उ0नि0 अक्षयदीप कुमार, महिला आरक्षी हरिप्रिया सिंह एवं महिला आरक्षी कोमला

थाना अतरौलिया टीम- उ0नि0 अखिलेश सिंह एवं रि0का0 अमित कुमार यादव।

थाना गम्भीरपुर साइबर टीम- थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी एवं रि0म0का0 आकांक्षा सिंह।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 21.09.2026 | जनपद- आजमगढ़

❑ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान में आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही

❑ जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा कुल 08 वारंटियों को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में मा० न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में दिनांक 21.09.2026 को जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

➡❑ मा० न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा कुल 08 NBW वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार NBW वारंटी अभियुक्तों में थाना मेंहनगर, निजामाबाद, मुबारकपुर, अतरौलिया व थाना तहबरपुर क्षेत्र से संबंधित अभियुक्त शामिल हैं।

जनपद पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारंटों के शत-प्रतिशत अनुपालन एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान निरंतर जारी है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी एवं नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

❑ आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अभियान लगातार जारी रहेगा।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 21.09.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा चोरी के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 8 माह 27 दिवस) के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप में 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 8 माह 27 दिवस) के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 11.11.2024 को वादी मुकदमा शरदचन्द पुत्र रामानन्द यादव निवासी जलालपुर जगनन्दन पट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ हाल मुकाम कोलबाज बहादुर प्रगति नगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर करीब 10 लाख रुपये का जेवर व 2 लाख रुपये नगद चुरा ले जाना।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु०अ०सं०-618/2024 धारा-331(4),305,317(4) भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में दिनांक-21.09.2026 को मा० न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 8 माह 27 दिवस) के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 21.09.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ 5 किग्रा गांजा रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना पवई पर पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध नशीला पदार्थ 130 ग्राम डायजापाम रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 10.01.2022 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री मनोज विश्वकर्मा थाना पवई जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. सूरज यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव निवासी चकधुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. अजीत कुमार पासवान उर्फ गोली पुत्र अशोक कुमार निवासी कछरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 5 किग्रा गांजा बरामद होना।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 12/2022 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 21.09.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सूरज यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव निवासी चकधुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. अजीत कुमार पासवान उर्फ गोली पुत्र अशोक कुमार निवासी कछरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

